

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 308 सन 2021

अनवान :-

1. सुलतान सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र कानसिंह उर्फ काहनसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बिशनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर
3. मनीरामसिंह पुत्र कानसिंह उर्फ काहनसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. हीरा पत्नी रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. रूकमा कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
6. गोतम कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
7. सन्तोष कवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
8. किरण कवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
9. सुनिता कवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
10. उम्मेदसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
11. भूपेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
12. ज्ञानसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/07/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 81/82 की कुल 5.8190हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 ,1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा बहिब व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 6.8310हैक में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा बहिब व चक 6 बाराणी के खाता संख्या 471/6 की कुल 8.7280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 बहिब 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 472/459 की कुल 8.7280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा बहिब तथा रोही मौजा गन्धेली बाराणी के खाता संख्या 270/275 की कुल 2.5300है प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व खाता संख्या 271/276 की कुल


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1.2650हैक् प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व खाता संख्या 6/6 की कुल 5.0600हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं रूपसिह सगे भाई है रूपसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान 4 ता 13 है रूपसिह के हिस्से की भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 रूपसिह की पुत्री एवं पत्नि है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 कील बहने है प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 गन्धेली में निवास करते है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जसाना में निवास करते है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 10 ता 13 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें गन्धेली बारानी की भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 को एवं नोहर तहसील की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुई इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता/पति के देहान्त होने है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया/पुत्रों प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जो भिन्न गांवों में निवास करते है काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें नोहर तहसील की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को एवं गन्धेली बारानी की भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 को प्राप्त हुई है इसी अनुसार काश्त करते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 81/82 की कुल 5.8190हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 , 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा बहिब व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 6.8310हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा बहिब व चक 6

बारानी के खाता संख्या 471/6 की कुल 8.7280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 बहिब 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 472/459 की कुल 8.7280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा बहिब तथा रोही मौजा गन्धेली बारानी के खाता संख्या 270/275 की कुल 2.5300है प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व खाता संख्या 271/276 की कुल 1.2650हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व खाता संख्या 6/6 की कुल 5.0600हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं रूपसिह सगे भाई है रूपसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान 4 ता 13 है रूपसिह के हिस्से की भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 के नाम से दर्ज हो चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 रूपसिह की पुत्री एवं पत्नि है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 कील बहने है प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 गन्धेली में निवास करते है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जसान्ना में निवास करते है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 10 ता 13 ने काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें गन्धेली बारानी की भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 को एवं नोहर तहसील की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुई इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतुक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 81/82 की कुल 5.8190हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 , 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा बहिब व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 6.8310हैक में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा बहिब व चक 6 बारानी के खाता संख्या 471/6 की कुल 8.7280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 बहिब 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 472/459 की कुल 8.7280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा बहिब तथा रोही मौजा गन्धेली बारानी के खाता संख्या 270/275 की कुल 2.5300है प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व खाता संख्या 271/276 की कुल 1.2650हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व खाता संख्या 6/6 की कुल 5.0600हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि

20
उपसचिव अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है ।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 गन्धेली में निवास करते है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जसाना में निवास करते है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 10 ता 13 ने काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें गन्धेली बारानी की भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 को एवं नोहर तहसील की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुई वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 10 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 एवं रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 81/82 एवं चक 6 बारानी के खाता संख्या 471/6 व खाता संख्या 472/459 में से रूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गन्धेली बारानी के खाता संख्या 6/6 में अमरसिंह का व खाता संख्या 270/275 व खाता संख्या 271/276 में मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर तीनों खाता में प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुलतान सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र कानसिंह उर्फ काहनसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. बिशनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. मनीरामसिंह पुत्र कानसिंह उर्फ काहनसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. हीरा पत्नी रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. रूकमा कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. गोतम कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. सन्तोष कवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. किरण कवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. सुनिता कवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. उम्मेदसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. भूपेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. ज्ञानसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 308 सन 2021 निर्णय दिनांक- 16/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 एव रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 81/82 एव चक 6 बरानी के खाता संख्या 471/6 व खाता संख्या 472/459 में से रूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गन्धेली बरानी के खाता संख्या 6/6 में अमरसिंह का व खाता संख्या 270/275 व खाता संख्या 271/276 में मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर तीनों खाता में प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक
की गई ।

को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर